

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक - ता० राजकुमार पाण्डेय बनाम मनोहर साव तक

अंचल - बालूमाथ, जिला - लातेहार वाद सं०- 42 / 2022-23

केस का प्रकार-

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
7-11-2022	आवेदक राजकुमार पाण्डेय पिता स्व. महावीर पाण्डेय ग्राम-चीतावा पी-बालूमाथ जिला-लातेहार । मीजा-बालूमाथ के खान 120 प्लॉट नं. 2119, 2120 रकबा 12 डिसेमल भूमि स्वयंकी मूक्ति है। जिसका डोफ लाइन एवं ड्रॉन लाइन सहित निर्मित है। इस भूमि पर कच्चा मकान में किशोरा मनोहर साव उर्फ भूखल साव पिता स्व. लहन साव ग्रामी-बालूमाथ के 10-12 वर्षों पूर्व दिये थे। अब मकान किशोरा नहीं दे रहे हैं। एवं मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। साथ हेतु आवेदन के आलोक में वाद की प्रारम्भ की जाती है। उभय पक्ष की नोटिस गिनाकर उभय पक्ष अपने-अपने अजहज कागजातों के रूप उपस्थित रहेंगे।	नोटिस प्राप्त किया। 1 अनुपस्थिति

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश गैर का बारे में तारीख
1	2	3
18.08.23	अभिलेख उपस्थापित । उभय पक्ष अनुपस्थित । उभय पक्ष की अलगाव अनुपस्थित वे आपराधिकीय प्र. समर्थ नहीं हो रहा है। उभय पक्ष की वाह से अभिलेखी नहीं है। हमारे रूप प्रतिक्रिया के लिए निर्दिष्ट करें। अभिलेख दिनांक 29/8/23 को उपस्थापित करें। अंशुल अधिकारी नालगाव	
29/8/2022	अभिलेख उपस्थापित । उभय पक्ष अनुपस्थित । उभय पक्ष अलगाव अनुपस्थित वह स्थिति है कि । उभय पक्ष न्यायालय की समर्थ नहीं कर रहे हैं। अभिलेख रूप हमारे लिए निर्दिष्ट करें। अभिलेख दिनांक 16.08.2023 को उपस्थापित करें। अंशुल अधिकारी नालगाव	

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश
गई व
बारे
तारीख

2

अभिलेख उपस्थापित । उभय पक्ष अनुपालित । उभय
पक्ष के लक्षणांतर अनुपालित रखे के कारण यह
की कार्यवाही समाप्त की जाती है।


अंश प्रचिप्ति
लीलूमय